

संख्या : 524 / 1-10-2012-14(23) / 04 टी0सी0-111

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

R O M I S

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फोर्स
(एस0डी0आर0एफ0) की दो बटालियन हेतु उपकरण कय के किये
जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4323/1-10-2011-14(23)
/2004-टी0सी0-111, दिनांक 19.12.2011, शा0सं0-96/1-10-2012-
14(23)/04 टी0सी0-111, दिनांक 23.1.2012 के संदर्भ में पुलिस
महानिरीक्षक पी.ए.सी. उत्तर प्रदेश के अ0शा0प0संख्या पीएसी-तीन-802
(5)-11/549 दिनांक 15.2.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट
करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र
दिनांक 15.2.2012 में पुलिस महानिरीक्षक पी.ए.सी. द्वारा की गयी
अपेक्षानुसार निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक उपकरणवार स्वीकृति
प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	विवरण	कुल धनराशि
1-	एम0आर0एफ0 किट-75 आइटम प्रति कम्पनी	रु0 44,43,662-40
2-	सी0एम0एस0आर0इक्यूपमेन्ट-122 आइटम प्रति कम्पनी	रु0 2,08,36,603-00
3-	इनडिवजुअल किट-5 आइटम प्रति कम्पनी	रु0 12,63,245-49
4-	रेडियोलोजिकल इक्यूपमेन्ट-24 आइटम प्रति कम्पनी	रु0 52,09,742-00
5-	केमिकल और बाइलोजिकल इक्यूपमेन्ट-21 आइटम प्रति कम्पनी	रु0 20,50,086-00
	योग	रु0 3,38,03,338-00

तदनुसार कृपया विषयगत मामले में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप में कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(के०के० सिंह)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 524(1)/1-10-2012-14(23)/04 टी०सी०-।। तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2-पुलिस महानिदेशक पी०ए०सी० मुख्यालय, लखनऊ
- 3-मण्डलायुक्त, लखनऊ
- 4- पुलिस महानिरीक्षक पी.ए.सी, उत्तर प्रदेश।
- 4-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ
- 5-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को
इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट
<http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 6-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 9-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11
राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

आज्ञा से,

(21) *rw*
28/3/12
(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।